

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, राजीव गांधी विद्या भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2705518, E-mail: girlshostels.rcse@gmail.com

क्रमांक: पं.6/रास्कूशिप/जय./बा.शि/केजीबीवी/2019-20/कोविड-19/ SPL दिनांक: 31/03/2020

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषय:- महामारी कोरोना वायरस के (COVID-19) संक्रमण को देखते हुये लॉक डाउन की अवधि में केजीबीवी में उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 से सम्पूर्ण राज्य में लॉक डाउन घोषित किया गया है। राज्य में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संचालित केजीबीवी टाईप-1, 3, 4 एवं मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों को भी दिनांक 20.03.2020 से बन्द किया गया है। अतः आपको कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में सभी प्रकार के केजीबीवी (समस्त जिला) एवं मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों (केवल अलवर जिला) में उपलब्ध खाद्य सामग्री का आवश्यकतानुसार यथोचित उपयोग हेतु अधिकृत किया जाता है।

www.rajteachers.com

भवदीय

(अभिषेक भगोतिया)

राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-1 एवं 2, रास्कूशिप, जयपुर।
5. उपायुक्त, बालिका शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त सीडीईओ/एडीपीसी एवं सीबीईओ, समस्त ब्लॉक, समस्त जिलों को भेजकर लेख हैं कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार अधिकृत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में संधारण सुनिश्चित करायें।
7. रक्षित प्रति।

राज्य परियोजना निदेशक